रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 2001/पौष 18, 1922

No. 14] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 2001/PAUSA 18, 1922

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2001

सा.का.नि. 14(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहनिर्माण के लिये अग्रिम राशि संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 (1) और (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1973 का और संशोधन करते हुए मुरगांव पत्तन का न्यासी मण्डल निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. (1) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी) संशोधन विनियम, 2000 कहा जाएगा ।

(1) ये विनियम उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख को इन विनियमों के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

2. मुरगांव पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1973 के मौजूदा खण्ड 3(ग) को हटा दिया जाए और उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए ।

खण्ड 3 (ग):

पंचायत/मुनिसिपल काऊन्सिल/योजना तथा विकास प्राधिकारी जैसे भी स्थिति हो, नामक स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार विनियमों के अनुसार किसी भी स्थान पर फ्लैट अथवा मकान का नक्शा पर निर्माण करना होगा ।

[फा. सं. पी आर-12016/21/2000-पी.ई-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को मंत्रालय ने अनुमोदन दिया है देखें पत्र सं. पीई(270)/70 दि.21.8.1970

अनुवर्ती संशोधन : (1) सा.का.नि. सं.828(ई) दि.3.6.86
(2) सा.का.नि. सं.363(ई) दि.27.4.95
(3) सा.का.नि. सं. 24(ई) दि.09.01.98

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2001

G.S.R. 14(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees (Grand of Advances for building of Houses) Amendment Regulation, 2000 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao Port Trust and set out in the schedule to annexed to this notification

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124(1) & (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby makes the following regulations further to amend the Mormugao Port Employees' (Grant of Advances for Building of Houses) Regulations, 1973, namely:

1. (i) These regulations may be called the Mormugao Port Employees (Grant of Advances for Building of Houses) (Amendment) Regulations, 2000.

(ii) They shall come into force with effect from the date on which the approval of the Central Government to these regulations is published in the Gazette of India.

2. Delete the existing Clause 3(c) of Mormugao Port Employees' (Grant of Advances for Building of Houses) Regulations, 1973 and substitute the same by the following:

Clause 3(c) :

Flats or independent houses are to be planned and constructed in any locality as per the regulations framed by the local authorities namely Panchayat/Municipal Council/Planning & Development Authority as the case may be.

[F. No. PR-12016/21/2000-PE-I]
K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note: Principal regulations were approved by the Ministry vide letter No.7.PE(270)/70 dtd. 21.8.1970
Subsequent Amendments: (1) GSR No. 828(E) dtd. 3.6.86.
(2) GSR No. 363(E) dtd. 27.4.95.
(3) GSR No. 24(E) dtd. 09.01.98

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.